अप्रार्थी के हिस्से में जिसका [illegible]
प्रार्थीगण में आया हिस्से देने में हमें कोई
ऐतराज नहीं है जबकि शेष सम्पति खसरा सं०
1609/1.35H अप्रार्थी सं०2 विमला देवी ने जरिए
विक्रय पत्र एवं ख.सं० 1618/3.03H जरिए
विक्रय पत्र 28.03.1969 को अप्रार्थी सं०1
हरिराम ने स्वयं खरीदी है। अतः इस
पर प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं है
अतः जारी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जावे।
उभयपक्षकार की बहस सुनी गई पत्रावली
वास्ते आदेश दिनांक 29/7/24 से नियत
05/8/24 को पेश हो।

05/8/24 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षकारान उपस्थित
दिनांक 29/7/24 को उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी
गई अप्रार्थी द्वारा खसरा सं० 1574, 1575 को पैतृक
सम्पति/आराजी माना गया वही प्रार्थी की ओर से
अन्य आराजी को लेकर पैतृक सम्पति बाबत रिकार्ड
या साबित नहीं कर पाया अतः दिनांक 28.8.23
को जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा खसरा सं०
1574, 1575 पर यथावत रखी जाती है तथा शेष
खसरा नं० 1609, 1618 पर जारी निषेधाज्ञा
खारिज की जाती है। [illegible] से एजलास सुनाया
पत्रावली फैसल [illegible] नम्बर से [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:23:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं
जिला झुन्झुनूं (राज.)